



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, मई 19—मई 25, 2019, शनिवार/वैशाख 29—ज्येष्ठ 4, 1941
No. 21] NEW DELHI, MAY 19—MAY 25, 2019, SATURDAY/VAISAKHA 29—JYAISTHA 4, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2019

का.आ. 825.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक, श्री अजय व्यास (जन्म तिथि 15.8.1962) को पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूको बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/5/2018-वीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
New Delhi, the 3rd April, 2019

S.O. 825.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Shri Ajay Vyas (DoB: 15.8.1962), General Manager, Central Bank of India as Executive Director, UCO Bank, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further order, whichever is earlier.

[F. No. 4/5/2018-BO-1]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2019

का.आ. 826.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, विजया बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) श्री आर. ए. संकरा नारायणन (जन्म तिथि 23.1.1960) को दिनांक 1.4.2019 को या इसके पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख अर्थात् 31.1.2020 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, केनरा बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/4/2018-बीओ-1]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 15th April, 2019

S.O. 826.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Shri R. A. Sankara Narayanan (DOB: 23.1.1960), MD & CEO, Vijaya Bank as MD & CEO, Canara Bank, with effect from the taking over charge of the post on or after 1.4.2019 till his superannuation *i.e.*, 31.1.2020, or until further order, whichever is earlier.

[F. No. 4/4/2018-BO-1]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2019

का.आ. 827.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, देना बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) श्री कर्णम सेकर (जन्म तिथि 1.7.1960) को दिनांक 1.7.2019 से उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख अर्थात् 30.6.2020 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इण्डियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) के पद पर तथा दिनांक 1.4.2019 से दिनांक 1.7.2019 तक, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) का पदभार ग्रहण करने तक आईओबी में 2,05,400-2,24,400 रुपए के वेतनमान में अधिसंख्य आधार पर विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) एवं पूर्णकालिक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/4/2018-बीओ-1]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 15th April, 2019

S.O. 827.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Shri Karnam Sekar (DOB: 1.7.1960), MD & CEO, Dena Bank as MD & CEO, Indian Overseas Bank (IOB), with effect from 1.7.2019 till his superannuation *i.e.*, 30.6.2020, or until further order, whichever is earlier, and as an Officer on Special Duty and whole-time Director in IOB, on supernumerary basis, from 1.4.2019 till the time of taking over charge as MD & CEO on 1.7.2019, in the pay-scale of Rs.2,05,400-2,24,400/-.

[F. No. 4/4/2018-BO-1]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2019

का.आ. 828.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, विजया बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री नागेश्वर राव वाई. (जन्म तिथि 12.7.1961) को दिनांक 1.4.2019 से दिनांक 21.1.2020 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सिंडिकेट बैंक में 1,76,800-2,24,000 रुपए के वेतनमान में अधिसंख्य आधार पर विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) एवं पूर्णकालिक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/4/2018-बीओ-1]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 15th April, 2019

S.O. 828.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Shri Nageswara Rao Y. (DOB: 12.7.1961), Executive Director, Vijaya Bank as Officer on Special Duty and whole-time Director in Syndicate bank, on supernumerary basis with effect from 1.4.2019 till 21.1.2020, or until further orders, whichever is earlier, in the pay-scale of Rs. 1,76,800-2,24,000/-.

[F. No. 4/4/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2019

का.आ. 829.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, विजया बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री मुरली रामास्वामी (जन्म तिथि 20.12.1960) को दिनांक 1.10.2019 से उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख अर्थात् 31.12.2020 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक आफ बड़ौदा/समामेलित संस्था में कार्यपालक निदेशक के पद पर तथा दिनांक 1.4.2019 से दिनांक 30.9.2019 तक बैंक आफ बड़ौदा में 1,76,800-2,24,000 रुपये के वेतनमान में अधिसंख्य आधार पर विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/4/2018-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 15th April, 2019

S.O. 829.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Shri Murali Ramaswami (DOB: 20.12.1960), Executive Director, Vijaya Bank as Executive Director in Bank of Baroda / amalgamated entity, with effect from 1.10.2019 till his superannuation i.e., 31.12.2020, or until further order, whichever is earlier, and as an Officer on Special Duty in Bank of Baroda, on supernumerary basis, from 1.4.2019 till 30.9.2019, in the pay-scale of Rs. 1,76,800-2,24,000/-.

[F. No. 4/4/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2019

का.आ. 830.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, देना बैंक के कार्यपालक निदेशक डॉ. राजेश कुमार यदुवंशी (जन्म तिथि 23.1.1961) को दिनांक 1.4.2019 को या इसके पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 8.10.2020 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब नेशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/4/2018-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 15th April, 2019

S.O. 830.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Dr Rajesh Kumar Yaduvanshi (DOB: 23.1.1961), Executive Director, Dena Bank as Executive Director, Punjab National Bank, with effect from taking over charge of the post on or after 1.4.2019 till 8.10.2020, or until further order, whichever is earlier.

[F. No. 4/4/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2019

का.आ. 831.—देना बैंक के कार्यपालक निदेशक डॉ. राजेश कुमार यदुवंशी की पंजाब नैशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्ति से संबंधित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की दिनांक 15.4.2019 की अधिसूचना संख्या 4/4/2018-बीओ-1 में "(जन्म तिथि 23.1.1961)" शब्दों के स्थान पर "(जन्म तिथि 23.6.1961)" पढ़ा जाए।

[फा. सं. 4/4/2018-बीओ-1]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th April, 2019

S.O. 831.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services, number 4/4/2018-BO.I, dated 15.4.2019 appointing Dr Rajesh Kumar Yaduvanshi, Executive Director, Dena Bank as Executive Director, Punjab National Bank, for the words "(DOB: 23.1.1961)", read "(DOB: 23.6.1961)".

[F. No. 4/4/2018-BO.I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2019

का.आ. 832.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को उक्त सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के स्थान पर कालम (1) में विनिर्दिष्ट बैंकों के बोर्ड में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, निदेशक के रूप में नामित करती है:-

	(1)	(2)	(3)
1.	केनरा बैंक	सुश्री उमा शंकर	श्री आर. केसावन
2.	बैंक आफ इंडिया	सुश्री आर. सेबस्टीन	श्री एस. सी. मुर्मू
3.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	श्री ए. के. मिश्रा	श्री अरुण कुमार सिंह
4.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	श्री शेखर भटनागर	श्री थॉमस मैथ्यू
5.	सिंडिकेट बैंक	श्री आर. एन. कर	श्री जी. पी. बोराह
6.	इंडियन बैंक	श्री जे. के. दास	श्री एस. के. पाणिगृही
7.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	श्री अर्नव रॉय	सुश्री साधना वर्मा

[फा. सं. 6/3/2011-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 26th April, 2019

S.O. 832.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates the persons specified in column (3) of the table below as Director on the Board of the Banks specified in column (1) thereof, in place of the persons specified in column (2) of the said table, with immediate effect and until further orders:—

	(1)	(2)	(3)
1.	Canara Bank	Ms Uma Shankar	Shri R. Kesavan
2.	Bank of India	Ms R. Sebastian	Shri S. C. Murmu
3.	Union Bank of India	Shri A. K. Misra	Shri Arun Kumar Singh
4.	Central Bank of India	Shri Sekhar Bhatnagar	Shri Thomas Mathew
5.	Syndicate Bank	Shri R. N. Kar	Shri G. P. Borah
6.	Indian Bank	Shri J. K. Dash	Shri S. K. Panigrahy
7.	United Bank of India	Shri Arnab Roy	Ms Sadhana Varma

[F. No. 6/3/2011-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2019

का.आ. 833.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को उक्त सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के स्थान पर कालम (1) में विनिर्दिष्ट बैंकों के बोर्ड में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, निदेशक के रूप में नामित करती है:-

	(1)	(2)	(3)
1.	आन्ध्रा बैंक	श्री ई. ई. कार्थक	श्री पी. जे. थॉमस
2.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	श्री गणेश कुमार	श्री एस. एम. नरसिम्हा स्वामी
3.	कार्पोरेशन बैंक	श्री प्रद्युमन के. जेना	श्री पी. के. पांडा
4.	पंजाब एंड सिंध बैंक	श्री प्रदीप्ता के. जेना	श्री बी. पी. विजेन्द्र

[फा. सं. 6/3/2011-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 26th April, 2019

S.O. 833.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, read with sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government hereby nominates the persons specified in column (3) of the table below as Director on the Board of the Banks specified in column (1) thereof, in place of the persons specified in column (2) of the said table, with immediate effect and until further orders:-

	(1)	(2)	(3)
1.	Andhra Bank	Shri E. E. Karthak	Shri P. J. Thomas
2.	Oriental Bank of Commerce	Shri Ganesh Kumar	Shri S. M. Narasimha Swamy
3.	Corporation Bank	Shri Pradyumna K. Jena	Shri P. K. Panda
4.	Punjab and Sind Bank	Shri Pradipta K. Jena	Shri B. P. Vijayendra

[F. No. 6/3/2011-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 मई, 2019

का.आ. 834.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (i) के उपबंध इलाहाबाद बैंक पर लागू नहीं होंगे, जहां तक इसका संबंध इलाहाबाद बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री चौधरी एस. एस. मल्लिकार्जुन राव को दिनांक 18.9.2021 तक की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के पद पर नामित करने से है।

[फा. सं. 13/23/2016-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 1st May, 2019

S.O. 834.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declare that the provisions of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the said Act shall not apply to Allahabad Bank in relation to the nomination of Shri Ch. S. S. Mallikarjuna Rao, Managing Director and Chief Executive Officer, Allahabad Bank on the Board of Universal Sampo General Insurance Company Limited as Director, for a period up to 18.9.2021 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 13/23/2016-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.